न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 401 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 13.10.2016

मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
बमिसल क्रमांक 140/2016 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.07.2016

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. सावन श्रीमाली –रेस्पोडेन्टगण–1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 17.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा सरसी तहसील निम्बाहेडा की खाता सं. 228 मे दर्ज आराजी नम्बर 763, 787, 483, 484, 479, 482, 854, 676, कुल किता 8 कुल रकबा 1.30 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की पैतृक एवं खरीदशुदा आराजीयात है जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण सं. 84/2015 दर्ज होकर दिनांक 30.06.2015 को

प्राथमिक डिक्री किया गया व दिनांक 10.07.2015 को अंतिम डिक्री किया गया। अंतिम निर्णय व डिक्री की पालना मे नामान्तकरण सं. 161 दिनांक 24.07.2015 स्वीकृत होकर उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की खातेदारी मे दर्ज की। जिसकी रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने पत्थरगढी करवाई गई जिस पर अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण सं. 2 से 5 का कब्जा होना बताया गया जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कब्जे दिलाया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से प्रस्तुत किये जाने पर वादपत्र पंजीबद्ध किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के सम्मन नोटिस जारी किये गये। उक्त प्रकरण लोक अदालत मे नियत किया जाकर लोक अदालत के तहत निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपील म्याद बहार होने से अपीलान्ट ने अपील को अन्दर म्याद लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम विश्वसनीय होने से अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत बिना तामील व बिना राजीनामे के रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का वादपत्र डिक्री किया है। सम्पूर्ण कृषि आराजीयात अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के कब्जे मे चली आ रही थी। व अन्य आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 के बंटवाडे व कब्जे मे चली आ रही थी। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का कब्जा नही है फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के नाम दर्ज होने के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित किया है जो न्यायोचित नही होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी के खातेदारी की है जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 प्रतिवादी को कब्जा बनाये रखने का किसी प्रकार का कानूनी

अधिकार नही है। फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के खातेदारी की आराजी पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 का कब्जा होने से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ विचारण ने लोक अदालत मे नियत की जाकर लोक अदालत की भावना से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी को कब्जेयाबी का हकदार होना मानते हुए वादपत्र डिक्री किया है। जो न्यायोचित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी विवादित कृषि आराजीयात का खातेदार है। जिस पर प्रतिवादीगण अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 5 ने अनाधिकृत कब्जा बनाये रखा है जिसको प्राप्त करने का रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त वादपत्र को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से लोक अदालत मे नियत किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे डिक्री किया है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के पक्ष मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2015 न्यायोचित व विधिपूर्ण होना प्रतीत होता है। अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की अपील मे कोई सारभुत तथ्य नही पाया जाने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 5 की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 140/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 08.07.2016 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री पावडदान चारण आर.ए.एस.

अपील सं. 401/2016 **/डिक्री**

श्री मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ बनाम (1) श्री गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (2) शंकरलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (3) सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (4) लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट –रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा दि. 08-7-16 प्रकरण सं. 140/2016 अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 17-2-2016 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दोलालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री श्रवण श्रीमाली रेस्पो० -1, रेस्पो 2 से 5 अनु० की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 140 निर्णय व डिक्री दिनांक 08-07-2016 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि — रुपये हैं, — द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे — द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 17-2-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री पावडदान चारण आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

दिनांक : 17-2-2022 **अपील खर्चे :**

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	25/-	4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	25/-
योग		योग	

P.T.O.